न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—484 / 2016 / 223 (2016 / 00484)

1. नारायण पुत्र दाऊ, जाति प्रजापत, निवासी आसन पोस्ट आसन, तहसील ब्यावर, हाल टाटगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. नारायण पुत्र चतरा, जाति कुम्हार, नि0 आसन पोस्ट आसन, तह0 ब्यावर, हाल टाटगढ़, जिला अजमेर । (फौत) जरिये वारिसानः—
   1 / 1— श्रीमती हंजा पत्नी स्व0 नारायण,
   1 / 2— मदन पुत्र स्व0 नारायण,
   1 / 3— सोहन पुत्र स्व0 नारायण,
   1 / 4— पूरण पुत्र स्व0 नारायण,
   1 / 5— हीरा पुत्र स्व0 नारायण,
   1 / 6— श्रीमती लक्ष्मी पत्नी बाबूलाल पुत्री स्व0 नारायण,
   1 / 7— श्रीमती भंवरी पत्नी शंकरलाल पुत्री स्व0 नारायण,
   समस्त जाति कुम्हार, नि0 कुम्हारों का बास, भीम, तह0 भीम जिला राजसमंद ।
2. पुखराज पुत्र दाउ, जाति प्रजापत, नि0 ग्राम आसन, पोस्ट आसन, तह0 ब्यावर हाल टाटगढ़, जिला अजमेर । (फौत) जरिये वारिसानः—
   2 / 1— भंवरलाल पुत्र स्व0 पुखराज, जाति कुम्हार, नि0 आसन पोस्ट आसन, तह0 ब्यावर हाल टाटगढ़, जिला अजमेर ।
   2 / 2— श्रीमती यशोदा पुत्री स्व0 पुखराज पत्नी मांगीलाल, जाति कुम्हार, नि0 गुडिया, तह0 रायपुर, जिला पाली ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूमि धारक, ब्यावर, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

5. हेमराज पुत्र दाउ, जाति प्रजापत, नि0 आसन पोस्ट आसन, तह0 ब्यावर, हाल टाटगढ़, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 1.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 42 / 2003.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री ताराचंद कुर्डिया, वकील रेस्पो0 संख्या 2 / 1 से 2 / 2.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3 व 4.
5. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 3.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में दर्शाये अनुसार साबिक खसरा नंबर 84 जिसके हाल खसरा नंबर 114 रकबा 0—10—00 एवं खसरा नंबर 113 रकबा 0—0—10, साबिक खसरा नंबर 87 हाल खसरा नंबर 116 रकबा 0—3—10, साबिक खसरा नंबर 88 हाल खसरा नंबर 117 रकबा 0—15—00, साबिक खसरा नंबर 89 हाल खसरा नंबर 118 रकबा 0—6—10, साबिक खसरा नंबर 92 हाल खसरा नंबर 120 रकबा 0—6—0, साबिक खसरा नंबर 93 हाल खसरा नंबर 121 रकबा 0—3—10, साबिक खसरा नंबर 94 हाल खसरा नंबर 122 रकबा 0—12—10, साबिक खसरा नंबर 101 हाल ा खसरा नंबर 131 रकबा 0—1—0 एवं साबिक खसरा नंबर 104 हाल खसरा नंबर 134 रकबा 0—16—0 की भूमियां ग्राम देवलाता पटवार हल्का आसन, तह0 टाटगढ, जिला अजमेर में स्थित है। उपरोक्त आराजियात अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 एवं प्रफोर्मा रस्पो0 संख्या 5 की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमियां है जो पुश्तैनी दर पुश्तैनी आज दिवस तक अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 व प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 5 का ही बहिस्सा बनाबर—बराबर विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त चला आया है जबकि विवादित भूमि से रेस्पो0 संख्या 1 प्रतिवादी नारायण का कोई हक, अधिकार, सरोकार व वास्ता नहीं है इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया है । अतः वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे तथा पक्षकारों के मध्य हुए बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारे की डिक्री पारित की जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 द्विारा द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पत्र की तारीख पेशी दिनांक 23.2.2016 वास्ते जिरह नियत की गई तथा आगामी दिनांक 10.8.2016 नियत की गई परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा वादीगण को सूचित किये बिना एवं बिना नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.8.2016 से पूर्व दिनांक 1.6.2016 को वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जबकि वादीगण का वाद साक्ष्य वादी जिरह हेतु नियत था । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलाधीन वादीगण/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 पुखराज एवं प्रफोर्मा रेस्पो0

संख्या 5 हेमराज की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमियां है तथा पुश्तैनी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । खतौनी जमाबंदी संवत् 1350 फसली के अनुसार खाता संख्या 7 के अनुसार विवादित भूमि की खातेदार श्रीमती लाली बेवा नोला जाति कुम्हार दर्ज है जो कि अपीलांट की दादी माता थी कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है कि जिनके वारिस अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 तथा प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 5 ही है । अधी0न्याया0 के द्वारा निर्णय में खतौनी जमाबंदी 1350 फसली को सही रूप से पढ़ा नहीं गया तथा विवादित भूमि के खातेदार 1350 फसली के अनुसार लौहार जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी में होना दर्शाया गया है जबकि खतौनी जमाबंदी 1350 फसली की खतौनी संख्या 6 खसरा नंबर 82 की भूमि लौहार नामक व्यक्ति के नाम दर्ज है । अधी0न्याया0 ने खतौनी जमाबंदी 1350 फसली के इंद्राज के विपरीत विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । बहस में आगे कथन किया कि चौसाला जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार भी विवादित भूमि जिसके वर्तमान जमाबंदी के अनुसार खाता संख्या नया 37 पुराना 48 के वर्तमान खसरा नंबर 116, 116/562, 117, 117/565, 118, 119/544, 120, 121, 127, 128, 134 के खातेदार पुखराज, नारायण, हेमराज पुत्र दाउ कौम कुम्हार दर्ज है एवं काबिज है परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा वादपत्र में साक्ष्य वादी जिरह हेतु नियत था इसके बावजूद वाद को नियत तारीख से पूर्व अपीलांट/वादीगण को सूचित किये बिना वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । विवादित भूमि पर पुश्तैनी समय से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का ही खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 4 में खातेदार एवं कब्जा काश्त दर्ज है तथा अपीलांट के द्वारा करीब 20 वर्ष पूर्व बोरिंग भी खुदवाया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 27.1.1971 को विवादित भूमि के संदर्भ में राजीनामा तहरीर भी निष्पादित की गई है, इसके बावजूद अधी0न्याया0 के द्वारा सभी दस्तावेजों का सही रूप से विवेचन न कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधिविरूद्ध है । बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमियों के संबंध में पटवारी हल्का आसन के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 1.6.2016 प्रस्तुत हुई थी जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 नारायण पुत्र चतरा का विवादित भूमि के किसी भाग पर कब्जा नहीं बताया गया है परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा अपील पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौका पर्चा के प्रतिकूल अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा वादपत्र में नियत तारीख पेशी दिनांक 10.8.2016 से पूर्व ही, वादीगण को बिना सूचित किये पत्रावली को कैम्प कोर्ट के समक्ष दिनांक 1.6.2016 को रखकर अपीलाधीन निर्ण व डिक्री पारित की है जिसकी वादीगण को कोई सूचना ही नहीं दी गई इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की तत्सयम जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलांट द्वारा दिनांक 26.10.2016 को उनके अधिवक्ता से संपर्क कर वादपत्र की कार्यवाही एवं तारीख पेशी की जानकारी चाहे जाने पर अधिवक्ता ने बताया कि वाद में दिनांक 1.6. 2016 को ही निर्णय पारित किया जा चुका है, तब सर्वप्रथम निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियों हेतु दिनांक 26.10.2016 को ही आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 4.11.2016 को अपीालधीन आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजात एकत्रित कर

जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है तथा विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं संतोषप्रद नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज करने का निवेदन किया । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 114, 113, 122, 131 रेस्पो0 संख्या 1 नारायण वल्द चतरा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात है । नारायण वल्द चतरा उपरोक्त आराजियात पर अरसे दराज से काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजियात वादीगण की पुश्तैनी आराजियात नहीं है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त भी नहीं है । वादीगण ने केवल मात्र काल्पनिक एवं गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जिसे दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहने से अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाकर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा चौसाला खसरा नंबर 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 101, 104 कुल किता 9 रकबा 3–14–10 बीघा की खातेदार उद्घोषणा एव स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था । वादपत्र में वादी द्वारा यह कथन किया कि फसल 1350 खतौनी जमाबंदी में उक्त भूमियां वादीगण के पूर्वज लाली बेवा नौला कोम कुमार साकिन आसन की खातेदारी में दर्ज है । यह भी कथन रहा है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अजमेर जिले में दिनांक 15.6.1958 को लागू हुआ उस समय विवादित भूमियां लाली बैवा नौला के नाम दर्ज थी। वादीगण का यह भी कथन रहा है कि लाली बैवा नौला जो कि विधवा औरत थी जो कि प्रथमदृष्टया ही खतौनी जमाबंदी 1350 फसली के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है । राज0काश्त0अधि0 की धारा 5 उपधारा 25 के अनुसार विधवा स्त्री की भूमि लैण्ड कल्टीवेटेड पर्सनली मानी गई है अर्थात बरवक्त जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 एवं राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने के समय विधवा स्त्री की भूमि को खुदकाश्त लैण्ड कल्टीवेटेड पर्सनली की उपधारणा मानी जाती है एवं विधवा स्त्री की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को हक, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है । प्रतिवादी द्वारा गलत तौर विधवा स्त्री लाली बैवा नौला की भूमियों को अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसका कि प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं था । लाली बैवा नौला की मृत्यु के वादीगण/अपीलांटस का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है । इस संबंध में अधी0न्याया0 स्वंय के द्वारा दिनांक 1.6.2016 को मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा विवादित भूमियों

के संबंध में मौतबिरान व्यक्तियों के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें उपरोक्त विवादित भूमियों पर नारायण वल्द चतरा प्रतिवादी का किसी भी खसरे पर कब्जा नहीं बताया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की गई । अधी0न्याया0 द्वारा बिना अपीलांट/वादी को नोटिस दिये राजस्व कैम्प ग्राम पंचायत आसन पंचायत समिति जवाजा में प्रकरण को रखकर दिनांक 1.6.2016 को निर्णित किया है जबकि प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 21.3.2005 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तत्पश्चात् सरकार का जवाबदावा पेश होने पर तनकियात कायम कर वादी की ओर से अपनी शहादत में शपथ पत्र भी पेश कर दिये गये एवं प्रकरण वास्ते जिरह वादी हेतु नियत था जिसमें प्रतिवादी द्वारा समय चाहा गया । यह भी कथन रहा है कि प्रतिवादी के द्वारा वादी के वाद का कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है एवं न ही खण्डन में कोई दस्तावेज ही पेश किये है और न ही एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करवाया गया है । यह भी कथन रहा है कि हाजा न्यायालय के समक्ष भी प्रतिवादी द्वारा कोई ठोस अपील अथवा ठोक आब्जेक्शन इस आशय के पेश नहीं किये गये है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद अविधिक रूप से दौराने कैम्प बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा बिना दस्तावेजों को प्रदर्शित किये एवं वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वाद खारिज किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 खारिज किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 3.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर